mail id: dcfwljaipur@gmail.com

Ph: 0141-2303062

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA / उवसवजी / 2022–23 / 6317 दिनांक 19/12/22

निमित:–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बस्सी, जयपुर

विषय:– वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भुमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli,Newal Maksundanpura, Chawandiya , District -Jaipur (Rajasthan) proposal no **FP/RJ/ROAD/151862/2022** के संवंध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक SPL/02 (Camp Jaipur) दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की उक्त विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी **EDS** दिनांक 28.10.2022 के क्रम में आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया। पार्ट–1 में अवलोकन उपरान्त प्रकरण में पुनः निम्न कमियां पाई गई। अतः पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट–2 की पूर्ति की जा सके।

1. Point no D के (a), में "existing road" के संवंध में आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार "उक्त प्रचलित मार्ग पर 1980 से पूर्व डामरीकरण हो जाने के कारण Existing road माना जावें तथा अब नये सिरे से सम्पूर्ण सडक का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है।" के संवंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार–बार आपको लिखा जा रहा है की यदि सडक 1980 से पूर्व में निर्मित थी तो इस बाबत कोई दस्तावेज / प्रमाण उपलब्ध करावें। किन्तु आप द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है। पुनः लेख है कि सडक निर्माण 1980 से पूर्व निर्मित थी बावत सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध करावें।
2. प्रकरण में आप द्वारा अवगत कराया गया था की वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मौका जाँच में सत्यापन होने पर सेगमेन्ट 4 में वन भूमि में आने वाली सडक की लम्बाई बढने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन 3.4764 है0 के स्थान पर 3.5568 है0. हो जाने के कारण आपके पत्रांक 397 दिनांक 21.06.2022 द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर को संशोधित गैर वनभूमि 3.5568 हैक्टर आंवटन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बावत अवगत कराया गया था। किन्तु अभी तक इस संवंध में उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन होने वाली वनभूमि 3.5568 है0 के बदले गैर वनभूमि 3.5568 है0 वन विभाग को आवंटन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत नही कराया गया है, जबकि इस बावत इस कार्यालय के पत्रांक 5535 दिनांक 03.11.2022 द्वारा आपको लिखा जा चुका है। अतः प्रकरण में जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 6718 दिनांक 12.10.2022 द्वारा आंवटित 3.4764 है0. गैर वन भूमि के स्थान पर 3.5568 है0. गैर वनभूमि आंवटन बावत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करावें।

भवदीय

(सागर पवार, IFS)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA / उवसवजी / 2022–23 / दिनांक :–

प्रतिलिपि:– प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

D:\M_documents\letter_work\FCA.docx